



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42992 वर्ष 2025

दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता:

विद्याकांत राय

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विद्याकांत राय और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका, अभियुक्त-आवेदक दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 208/2020, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के अंतर्गत मामले में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 6.7.2020 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त गोपाल सैनी को इस न्यायालय द्वारा 9.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 39510/2025 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसके आपराधिक इतिहास में 6 मामले दर्ज हैं, जिनका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले संख्या में अभियुक्त-आवेदक, **दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।